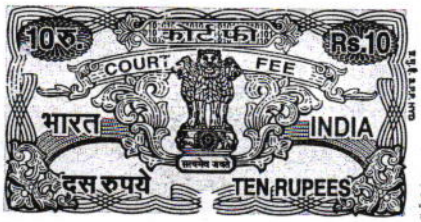

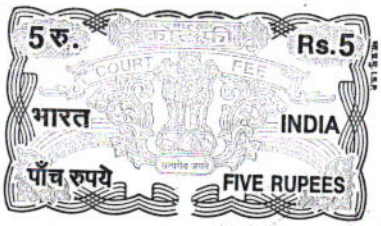

कोर्ट फी 10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी 5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

94

निगरानी 1361-I-15

माननीय न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

प्र.क्र. /2014-15 निगरानी माल

1- राधेश्याम पुत्र श्री म धौसिंह आयु 43 वर्ष

2- पूरन पुत्र श्री चित्रसिंह आयु 48 वर्ष

3- श्रीकृष्णसिंह पुत्र चित्र सिंह आयु 41 वर्ष

4- गन्धर्वसिंह आयु 41 वर्ष पुत्र श्री चित्रसिंह

5- जितेन्द्र पुत्र विजयसिंह आयु 31 वर्ष

6- श्रीमती सुनीता पत्नी राधेश्याम आयु 41 वर्ष

7- श्रीमती मीना पत्नी श्री बीरेन्द्रसिंह आयु 37 वर्ष

8- श्रीमती विमला पत्नी विशम्भर आयु 34 वर्ष

9- श्रीमती रामकेसरी पत्नी रामसिंह आयु 31 वर्ष

10- सिरनाम पुत्र लायकसिंह आयु 48 वर्ष

11- रामप्रकाश पुत्र जीवाराम आयु 53 वर्ष

12- बीरेन्द्र सिंह पुत्र द्वारिका आयु 41 वर्ष

13- रामराज पुत्र द्वारिका आयु 35 वर्ष गुर्जर ठाकुर

14- रामबरन पुत्र जगन्नाथ आयु 48 वर्ष जाति धौबी

सभी निवासीगण ग्राम चुरहेला तहसील व जिला मुरैना। म.प्र.

---- आवेदकगण

श्री ...................... द्वारा आज दि. 4.6.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन ------ अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय मुरैना के प्र.क्र. 9/2012-13 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-15 के

Xxxix(a)-BR(H)-11 **राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर**

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1361–एक/2015 जिला मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता |
|---|---|---|
| 16-8-16 | यह निगरानी कलेक्टर, जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 9/2012–13 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–3–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी तथा शासन के पैनल लायर श्री राजीव गौतम के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ प्रकरण के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह सामने आई है कि तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 21/2002–03 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 30–5–2003 से आवेदकगण के हित में मौजा चुरहैला में भूमि बन्टित/ व्यवस्थापित की है । भूमि बंन्टन/व्यवस्थापन प्रकरण में अनियमितातयें किये जाने का तथ्य नायव तहसीलदार बानमौर के ध्यान में आने पर उनके व्दारा प्रकरण का परीक्षण कर भूमि बंटन कूटरचित दस्तावेजों एंव षड़यॅत्रपूर्वक होने तथा कर्मकारों से मिली भगत के आधार पर पाने के कारण प्रतिवेदन दिनांक 4–3–13 कलेक्टर मुरैना को प्रस्तुत किया है जिस पर से आवेदकगण के विरूद्ध स्वमेव निगरानी दर्ज कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31–3–15 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन निरस्त किया गया है। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि भूमि बन्टन आदेश के विरूद्ध कलेक्टर ने विलम्ब से स्वमेव निगरानी दर्ज की है जो अवधिवाधित है।<br>कलेक्टर मुरैना के प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 4–3–13 | |

Xxxix(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1361–एक/2015 जिला मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों ए. अभि.के हस्ता. |
|---|---|---|
| | से भूमि बंटन/व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने एंव आवेदकगण को अनुचित लाभ पहुंचाने का तथ्य कलेक्टर की जानकारी में प्रथमवार आया है जिस पर से दिनांक 6–4–2003 को उन्होंने स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की है।<br>1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा–50– व्याप्ति – स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के लिये परिसीमा निर्धारित नहीं है। सक्षम अधिकारी जानकारी के दिन से स्वमेव पुनरीक्षण कर सकता है। (रामगुरू विरूद्ध राजेन्द्र मेहरा एंव म0प्र0राज्य 2005 रा.नि. 300 से अनुसरित)<br>2. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा–50– भूमि व्यवस्थापन में प्रकियात्मक त्रृटि एंव अनियमिततायें की गई – स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है – समय–सीमा की पाबंदी नहीं है।<br>अतएव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा उठाई गई उक्तानुसार आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।<br>4/ प्रकरण के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 21/2002–03 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 30–5–2003 भूमि बंटन/ व्यवस्थापन किया है, जबकि मान. डी0बी0एच0सी0 ने रिट पिटीशन कमांक 2496/2002 में पारित आदेश दिनांक 5–8–2002 से भूमि बन्टन पर तत्समय रोक लगा दी थी और इसी कम में म0प्र0शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल ने ज्ञापन कमांक एफ–30–18/2002/सात–2–ए | |

X..(ix(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 1361–एक/2015 जिला मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता |
|---|---|---|
| | दिनांक 21–1–2003 से भूमि बंटन/व्यवस्थापन पर रोक लगा दी थी , फिर भी तहसीलदार मुरैना ने आदेश दिनांक 30–5–2003 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन करने में अनियमितता करने के कारण विद्वान कलेक्टर, जिला मुरैना ने आदेश दिनांक 31–3–2015 भूमि बंटन/व्यवस्थापन निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।<br>5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः कलेक्टर, जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 9/2012–13 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–3–2015 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।<br>सदस्य | |